

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 17, 1973/अश्विन 25, 1895
No. 242] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 1973/ASVINA 25, 1895

इ 4 भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सक ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th October 1973

SUBJECT—*Trade with Bangladesh during the period from the 28th September, 1973 to 27th September, 1974.*

No. 170-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No 116-ITC(PN)/73, dated the 16th July 1973, on the above subject.

2. According to the provisions made in paragraphs 6 and 14 of the aforesaid Public Notice, all applications for imports from Bangladesh and for exports to Bangladesh under the Balanced Trade and Payments Arrangement have to be made to the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta. In partial modification of these provisions, it has been decided that the applicants situated within the jurisdiction of the Controller of Imports & Exports, Shillong, may, if they so desire, apply to that licensing authority for import licences or export licences or for endorsements on shipping bills for exports in the case of imports and exports covered by the Limited Payments Arrangement with Bangladesh. The Controller of Imports & Exports, Shillong, will deal with such applications after obtaining from the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta the particulars of the registered contracts on the basis of which the import or the export applications are made.

3. The Ministry of Commerce Public Notice No. 116-ITC(PN)/73, dated the 16th July, 1973, may be deemed to have been amended accordingly.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1973

विवरण. — 28-9-1973 से 27-9-1974 तक की अवधि के दौरान बंगला देश के साथ व्यापार।

सं० 170-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73. — उपर्युक्त विषय पर, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 116-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 दिनांक 16 जुलाई 1973 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 13 और 14 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार बांग्ला देश से आयात के लिए तथा बांग्ला देश से निर्यात के लिए सभी आवेदन-पत्र संतुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता को किए जाने हैं। इन व्यवस्थाओं में आंशिक आशोधन कर यह निश्चय किया गया है कि नियंत्रक, आयात-निर्यात, शिलांग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले आवेदक, यदि वे चाहें तो आयात लाइसेंसों या निर्यात लाइसेंसों या बांग्ला देश के साथ सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले आयातों और निर्यातों के मामले में निर्यातों के लिए पोतलदान बिलों पर पृष्ठों के लिए उक्त लाइसेंस प्राधिकार के पास आवेदन कर सकते हैं। नियंत्रक, आयात-निर्यात शिलांग ऐसे आवेदन-पत्रों पर विचार संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता से पंजीकृत संधिदाओं के उन व्यौरों के प्राप्त होने के बाद करेंगे जिनके आधार पर आयात या निर्यात आवेदन-पत्र दिये जाते हैं।

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 116-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 दिनांक 16 जुलाई, 1973 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाय।

एत० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।